राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का परिचय

1929 के मद्रास विधान अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित मद्रास सर्विस कमीशन प्रांतीय स्तर पर प्रथम आयोग था। भारत सरकार अधिनियम, 1935 में प्रत्येक प्रांत के लिए एक लोक सेवा आयोग स्थापित करने का प्रावधान था। तद्नुसार, 1935 के अधिनियम के अन्तर्गत 1937 में असम प्रांत के लिए (शिलांग में), बँगाल प्रांत के लिए (कलकत्ता में), बाम्बे एण्ड सिन्ध प्रांत के लिए (बाम्बे में), मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा के लिए (रांची में), मद्रास प्रांत के लिए (मद्रास में), पंजाब और उत्तर पश्चिम प्रांत के लिए (लाहौर में) तथा संयुक्त प्रांत के लिए (इलाहाबाद में) सात लोक सेवा आयोगों की स्थापना की गई।

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 321 तक में आयोग की स्थापना और गठन के साथ-साथ उनके परामर्शी प्रकार्यों का प्रावधान है।

3. संविधान का अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए, दोनों के बीच बिना किसी औपचारिक संबंध के, अलग-अलग लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है। समान हित के क्षेत्रों में विचारों और जानकारी के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के सहयोग से समय-समय पर राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के सम्मेलन आयोजित किए जाते रहे हैं। राष्ट्रीय सम्मेलन में सभी 29 राज्य लोक सेवा आयोग भाग लेते है।

4. लोक सेवा आयोगों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन 1949 में आयोजित किया गया था। इसके पश्चात समय-समय पर सम्मेलन आयोजित किए गए थे। 1999 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन के पदेन अध्यक्ष बन गए। इसके पश्चात सोलह (16) सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। 23वाँ राष्ट्रीय सम्मेलन 15 और 16 अप्रैल, 2022 को तिरूअन्नतपुरम, केरल में आयोजित किया गया था।

5. राष्ट्रीय सम्मेलन की व्यवस्था के माध्यम से भर्ती की पद्धतियों, कार्मिक नीतियों, परीक्षाओं के आयोजन आदि से संबंधित मामलों पर राज्य लोक सेवा आयोगों के बीच वर्षों से एक स्थायी संबंध विकसित करने का प्रयास किया गया है। ऐसे सम्मेलन बदलते सामाजिक-आर्थिक परिवेश और लोगों की प्रत्याशाओं और संवैधानिक दायित्वों के साथ तारतम्यता में आयोगों की कार्य प्रणालियों में परिणामी परिवर्तनों पर भी विचार-विमर्श के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करते हैं।